तारीख हुक्म	गोकुल बनाम धर्मराज वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा बाबत उद्घोषणा एवं दुरुस्ती रिकार्ड मु.न. 66/201	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-10-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते है। बहस हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 5-11-19 को पेश हो।	
5-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26-11-2019 को पेश हो।	
26.11.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। प्रकरण में वकील वादी की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकारण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 353 से 357, 375 से 378, 380, 395 कुल किता 11 कुल रकबा 9.0700 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 258, 346 से 349 कुल किता 5 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर तन् ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसमें 1/8 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता/पति स्व. गिरधारीलाल पुत्र चन्द्राराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 आपस में एक ही परिवार खानदान के है जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। सजरा खानदान अनुसार वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 मृत्तक गिरधारीलाल के वारिस है। गिरधारीलाल की मृत्यु दिनांक 30.01.2014 को हो चुकी है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का पिता/पति स्व. गिरधारीलाल, सुरजाराम का दत्तक पुत्र था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता/पति स्व. गिरधारीलाल के परिवार राशनकार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, घरेलू विधुत कनेक्शन, बैंक पासबुक, जॉबकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र एंव सरंपच ग्राम पंचायत जोरावरनगर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र आदि में वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के पिता/पति स्व. गिरधारीलाल के पिता का	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

~~मोकुलचन्द बनाम् धर्मसज वगै0~~
दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं. 66/2018

नाम सुरजाराम ही दर्ज है परन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के पिता/पति स्व0 गिरधारी लाल के पिता का नाम चन्द्राराम दर्ज हो गया है। जिससे वादी को सख्त हक तलफी है तथा वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के हक में मृत्तक गिरधारीलाल के स्थान पर विरासत का नामान्तकरण खुलवाने में परेशानी आ रही हैजिसके कारण वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के मृत्तक पिता/पति स्व0 गिरधारी लाल के पिता का नाम चन्द्राराम के स्थान पर सुरजाराम घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के मृत्तक पिता/पति स्व0 गिरधारी लाल के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृत्तक गिरधारी लाल का नाम हजफ किये जाने का निवेदन वादी ने किया है । प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.7.2018 को खातेदारी दर्ज व दुरूस्त करवाने से इन्कार हो जाने पर वाद कारण पैदा होने पर दावा करने लाजिम आया। वकील वादी ने उक्तानुसार वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वादी ने वादपत्र में किया है।

प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के मृत्तक पिता/पति स्व0 गिरधारी लाल के पिता का नाम चन्द्राराम के स्थान पर सुरजाराम घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के मृत्तक पिता/पति स्व0 गिरधारी लाल के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृत्तक गिरधारी लाल का नाम हजफ किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर सगौर मनन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है तथा प्रतिवादी नं. 4 के विरूद्ध एक पक्षीय

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	गोकुलचन्द बनाम् धर्मराज वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नं. 66/2018	

कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है एंव साक्ष्य वादी में वादी स्वयं का व वादी गवाह में घासीराम पुत्र चन्द्राराम का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 जो प्रदर्श –1 व प्रदर्श –2 है। जिसमें वर्तमान खातेदारी में नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 19.07.2011 न्यायालय आदेश से रूड़ीदेवी बेवा सुरजा गूर्जर हिस्सा 1/4 के स्थान पर मंगला पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 1/8, गिरधारी लाल पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 1/8 कौम गूर्जर के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 जो प्रदर्श –3 है। जिसमें खातेदारी रूड़ी बेवा सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति गूर्जर के नाम दर्ज है व जमाबन्दी प्रदर्श –4 सम्वत् 2061 से 2064 में गिरधारी दत्तक पुत्र सुरजा व रूड़ी बैवा सुरजा कौम गूर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी प्रदर्श –5 व 6 सम्वत् 2069 से 2072 में गिरधारीलाल पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 1/8 कौम गूर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी प्रदर्श –4 सम्वत् 2061 से 2064 में गिरधारी दत्तक पुत्र सुरजा कौम गूर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जबकि वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में दर्ज शीर्षक व दर्ज सजरा खानदान में गिरधारी पुत्र सुरजा राम अंकित किया है। जिससे भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का पिता व पति मृत्तक गिरधारी सुरजाराम का दत्तक पुत्र है या जायन्दा पुत्र है। यहां यह भी लिखा जाना आवश्यक है कि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श –1 में रूड़ी बेवा सुरजा हिस्सा 1/4 को जरिये न्यायालय आदेश नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 19.07.2011 से रूड़ी बेवा सुरजा हिस्सा 1/4 के स्थान पर मंगला पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/8 व गिरधारीलाल पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 1/8 कौम गूर्जर के नाम खातेदारी की घोषणा से नामान्तकरण दर्ज रिकार्ड होना प्रकट हो रहा है व प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श –2 में गिरधारी दत्तक पुत्र सुरजा व मु0 रूड़ी बेवा सुरजा हिस्सा 1/4 को जरिये न्यायालय आदेश नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 19.07.2011 के द्वारा गिरधारी दत्तक पुत्र सुरजा व मु0 रूड़ी बेवा सुरजा हिस्सा 1/4 के स्थान पर गिरधारी पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 1/8 व मंगला पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/8 कौम गूर्जर के नाम खातेदारी की घोषणा से नामान्तकरण दर्ज रिकार्ड होना प्रकट हो रहा है।

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनाम

गोकुलचन्द बनाम् धर्मराज वगै0

किस्म मुकदमा दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड सन्

मुकदमा नं. 66/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	इस प्रकार वादपत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर वादपत्र की मद नम्बर 1 व 2 में अंकित दर्ज भूमियों में रूड़ी बेवा सुरजा व गिरधारी दत्तक पुत्र सुरजा के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व पति गिरधारीलाल ने गिरधारी दत्तक पुत्र सुरजाराम के स्थान पर गिरधारी पुत्र चन्द्राराम के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा जरिये न्यायालय आदेशों से करवाई गई है। जो नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 19.07.2011 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होना स्पष्ट प्रकट हो रहा है। अब वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के द्वारा जो मृत्तक गिरधारीलाल के विधिक वारिसान है। वे पूर्व में न्यायालय से कराये गये आदेश जो सुरजाराम के स्थान पर वल्दियत में मृत्तक गिरधारीलाल ने अपने पिता का नाम सुरजाराम के स्थान पर चन्द्राराम घोषित करवाया जाकर अनुतोष प्राप्त किया गया था। उन्ही भूमियों बाबत पुनः वादपत्र प्रस्तुत कर उसी गिरधारी पुत्र चन्द्रा के स्थान पर वापस गिरधारी पुत्र सुरजा घोषित करवाते हुए वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जाकर मृत्तक गिरधारी लाल का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर खातेदारी अपने–अपने नाम दर्ज कराने हेतु न्यायालय में वादपत्र पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श –1 व 2 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व पति मृत्तक गिरधारी द्वारा गिरधारी पुत्र चन्द्रा न्यायालय आदेश से दर्ज हुआ है। जो इन्ही भूमियों बाबत है। पूर्व में वादी के मृत्तक पिता गिरधारी लाल द्वारा गिरधारी दत्तक पुत्र सुरजाराम के स्थान पर गिरधारी पुत्र चन्द्रा न्यायालय आदेश से दर्ज करवाया गया है। जो नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 19.07.2011 से स्पष्ट	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज गोकुलचन्द बनाम् धर्मराज वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नं. 66/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रकट होता है। अब वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने इन्ही भूमियों में गिरधारी लाल पुत्र चन्द्रा को पुनः गिरधारीलाल पुत्र सुरजा वापिस से दर्ज कराना चाहते है। जो रिकार्ड व न्यायालय आदेश से विपरित है एंव न्यायिक सिद्धान्तों के भी विपरित है। इस प्रकार वादी अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner